उच्च स्तरीय प्रमाणीकरण छानबीन समिति
संचालनालय, आदिमजाति अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान

सेक्टर–24, नवा रायपुर अटल नगर जिला रायपुर (छत्तीसगढ़)
Website- trti.cg.gov.in Ph. 0771- 2960530 Fax 0771- 2960531 E mail – triraipur0771@gmail.com

प्र. क्र./टी.आर.आई./छास/अजजा/322/2005–26/2025 अटल नगर, दिनाँक 21/07/2026

श्रीमती क्रिस्टीना एस. लाल
संयुक्त संचालक
महिला एवं बाल विकास विभाग
इन्द्रावती भवन, ब्लॉक–1, द्वितीय तल
नवा रायपुर अटल नगर (छ.ग.)

–: आदेश :–

(दिनाँक 01/06/2026)

सिविल अपील क्रमांक 5854/1994 दिनाँक 02.09.1994 कु. माधुरी पाटिल बनाम एडीशनल कमिश्नर ट्रायबल डेव्हलपमेंट एवं अन्य (AIR 1995 SC 94) में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश में दिये गये मार्गदर्शी निर्देश एवं छत्तीसगढ़ अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग (सामाजिक प्रास्थिति के प्रमाणीकरण का विनियमन) अधिनियम 2013 में विहित प्रावधानों के अनुसार छत्तीसगढ़ राजपत्र (असाधारण) प्राधिकार से प्रकाशित अधिसूचना क्र.एफ.13–23/2012/आ.प्र./1–3 दिनाँक–21 फरवरी 2018 को अधिक्रमित करते हुए राज्य सरकार, एतद्द्वारा, उच्च स्तरीय प्रमाणीकरण छानबीन समिति का पुनगर्ठन करती है। पुनगर्ठनानुसार दिनाँक 09/07/2024 में उच्च स्तरीय प्रमाणीकरण छानबीन समिति का पुनर्गठन किया गया है। माननीय उच्चतम न्यायालय के अनुसार समिति का स्टेटस क्वासी ज्यूडीशियल है।

2. प्रकरण का संक्षिप्त विवरण है कि संचालनालय महिला एवं बाल विकास विभाग के अधिकारी/कर्मचारी के द्वारा श्रीमती क्रिस्टीना एस. लाल के जाति प्रमाण पत्र की शिकायत उच्च स्तरीय छानबीन समिति एवं सचिव, अनुसूचित जाति, जनजाति विभाग को प्राप्त हुई।

3. श्रीमती क्रिस्टीना एस.लाल ने दिनांक 03.10.1986 को सर्कल आर्गेनाईजर ट्रायबल वेलफेयर जबलपुर से गोंड अनुसूचित जनजाति का जाति प्रमाण पत्र प्राप्त किया। मध्यप्रदेश शासन, महिला एवं बाल विकास, मध्यप्रदेश के आदेश क्र.1 (A)2/50/92 के द्वारा श्रीमती सी.एस. लाल को जिला महिला एवं बाल विकास अधिकारी के पद पर दिनांक 09.09.1993 को नियुक्ति किया गया। नियुक्ति आदेश में सरल क्र. 3 पर श्रीमती क्रिस्टीना एस. लाल का नाम अंकित है। श्रीमती लाल के नाम के साथ अ.ज.जा. अंकित है अर्थात् श्रीमती लाल की नियुक्ति अनुसूचित जनजाति उम्मीद्वार के रूप में जिला महिला एवं बाल विकास अधिकारी के पद पर की गई।

4. माननीय उच्चतम न्यायालय के द्वारा डायरेक्टर ट्रायबल वेल्फेयर विरुद्ध लावेती गिरी संदर्भ 95/4/एससी.सी/32 में जाति प्रमाण पत्रों की जांच, उनके सत्यापन एव अनुमोदन हेतु निर्धारित प्रक्रिया एवं छ.ग. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग (सामाजिक प्रास्थिति के प्रमाणीकरण का विनियमन) नियम 2013 के नियम 19(1) में यथानिर्दिष्ट अनुसार समिति द्वारा प्रकरण अन्वेषण हेतु समिति के विजिलेंस सेल को दिनांक 14.06.2013 को सौंपा गया। विजिलेंस सेल से छ.ग. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग (सामाजिक प्रास्थिति के प्रमाणीकरण का विनियमन) नियम 2013 के नियम 20(2) के अनुसार दिनांक 17.01.2014 को अन्वेषण प्रतिवेदन प्राप्त हुआ। अन्वेषण प्रतिवेदन में श्रीमती क्रिस्टीना के पिता का मूल निवास स्थान ग्राम–तूरमादर तहसील–कुण्डम, जिला–जबलपुर (म.प्र.) का निवासी होना बताया है। समिति के विजिलेंस सेल के द्वारा उक्त पते एवं श्रीमती क्रिस्टीना लाल के द्वारा प्रस्तुत मिसल रिकार्ड को तस्दीक किया गया। धारक के द्वारा प्रस्तुत वशावली, प.ह.नं. 27 पुराना प.ह.नं. 84, जी एल चौबे पटवारी ने इसे बनाने एवं हस्ताक्षर करने से इन्कार किया है। श्रीमती लाल ने मौजा तुरमादर का वर्ष 1909–10 का मिसल रिकार्ड मुख्य प्रतिलिपिकार कलेक्ट्रेट, जबलपुर से प्राप्त सत्यापित फोटो प्रति प्रस्तुत की है, जिसमें खसरा नं. 262 वहुबल वल्द तिरुगोंड खसरा नं. 243. 244 वहबल वल्द तिरू गोड खसरा नं. 246 ईहला वल्द हमरी गोड खसरा नं. 247 पदमा वल्द हलसात गोंड खसरा नं. 248 रतिया वल्द नूता गोंड खसरा न अस्पष्ट वहबल वल्द तितरू गोड के नाम दर्ज है। इसमें श्रीमती क्रिस्टीना के पिता/पूर्वजों के नामों का कहीं उल्लेख नहीं है। मौजा तुरमादर आ.न. 3073/12 नव 244 ह.नं. 84 तहसील व जिला जबलपुर के अधिकार अभिलेख वर्ष 1954–55, 55–56 की प्रति भी प्राप्त की गई जिसका ख.नं 262/1, 263/1, 264/4, 262/2, 265–264/1 चमरू वल्द धोधा एवं दुकलो बेवा धोधा के नाम दर्ज है। इसमें भी श्रीमती क्रिस्टीना के पिता/पूर्वजों के नाम उल्लेख नहीं है।

श्रीमती क्रिस्टीना एस. लाल द्वारा अपने जी पी.एफ. अकाउन्ट की छायाप्रति प्रस्तुत की गई. इसमें इनकी जाति ईसाई दर्ज है। प्रिंसीपल, डी.डी ओ. शासकीय हायर सेकण्डरी स्कूल, जबलपुर का प्रमाणीकरण अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित अभिलेख प्रस्तुत किया गया। जाति के कॉलम में जाति क्रिश्यचन गोंड दर्ज है। इनके मूल ग्राम तुरमादर में आम सूचना की मुनादी कराया जाकर उपस्थित लोगों का पंचनामा बनाया गया, वहाँ श्रीमती क्रिस्टीना सी.एस. लाल उर्फ क्रिस्टीना मार्टिन पिता हेक्टर मार्टिन पिता स्व. श्री नाथन मसीह तथा इनके पति श्री सालोमन मैथ्यू सिलाह को ग्रामवासियों ने जानने से इंकार किया। श्रीमती क्रिस्टीना द्वारा जिस ग्राम का मूल स्थायी निवास होना बताया है, आम सूचना कर मुनादी करने पर उपस्थित लोगों ने बताया कि ग्राम–तुरदार–तुरमादर में छ.ग. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग (सामाजिक प्रास्थिति के प्रमाणीकरण का विनियमन) नियम 2013 के नियम 20(3)(घ) के अनुसार करीब 100 घर केवल गोड़ जाति के लोग निवास करते हैं, जिसमें से किसी ने भी इसाई धर्म परिवर्तन नहीं किया है और न ही कोई गोंड जाति का व्यक्ति शासकीय सेवा में है।

5. माननीय उच्चतम न्यायालय, प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत एवं छ.ग. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग (सामाजिक प्रास्थिति के प्रमाणीकरण का विनियमन) नियम 2013 के नियम 22(1) का पालन करते हुये समिति के विजिलेंस सेल के अन्वेषण प्रतिवेदन के साथ 06.03.2014 को कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया। कारण बताओ सूचना पत्र का जवाब दिनांक 04.04.2014 के प्राप्ति उपरांत छ.ग. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग (सामाजिक प्रास्थिति के प्रमाणीकरण का विनियमन) नियम 2013 के नियम 22(2) के अनुसार श्रीमती क्रिस्टीना को दिनांक 28.07.2014 व दिनांक 09. 01.2015 सुनवाई का अवसर प्रदान किया गया। माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय डायरेक्टर ट्रायबल वेलफेयर बनाम लावेती गिरी सदर्भ/95/4/एससीसी/32 के निर्णय एवं छ.ग. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग (सामाजिक प्रास्थिति के प्रमाणीकरण का विनियमन) अधिनियम 2013 की धारा 14 में उल्लेखित है कि अपनी सामाजिक प्रास्थिति/जाति को साबित करने हेतु **'सबूत का भार'** उस व्यक्ति का है. जो प्रस्तुत किये गये जाति प्रमाण पत्र के आधार पर आरक्षण संबंधी संवैधानिक लाभ प्राप्त करना चाहता है। समिति द्वारा श्रीमती क्रिस्टीना लाल को उसके पिता/पूर्वजों के गोड अनुसूचित जनजाति का होने तथा अनुसूचित जनजाति संबंधी राष्ट्रपति नोटिफिकेशन दिनांक 06.09. 1950 को जबलपुर (म.प्र) के मूल निवासी होने संबंधी साक्ष्य अभिलेख यथा मिसल रिकार्ड एवं अभिलेखों में दर्ज जाति संबंधी साक्ष्य अभिलेख प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया था, किन्तु श्रीमती क्रिस्टीना द्वारा ऐसा कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया जिसमें उनके पिता/पूर्वजों की जाति गोंड अंकित हो। उनके द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य गठन के पूर्व अनुसूचित जनजाति संबंधी राष्ट्रपति अधिसूचना 1950 के पूर्व से जबलपुर जिले (म.प्र.) के मूल निवासी होने संबंधी कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया।

6. श्रीमती लाल के द्वारा दिनांक 04.04.2014 को समिति को प्रस्तुत आवेदन पत्र पर विचार किया गया। उपपुलिस अधीक्षक के द्वारा प्रस्तुत अन्वेषण प्रतिवेदन दिनांक 17.01.2014 में उल्लेखित है कि ग्राम–तुरदार/तुरमादूर में करीब 100 घर के गोंड़ जाति के लोग निवास करते हैं। यहाँ के कोई गोंड़ ईसाई धर्म परिवर्त नहीं किये हैं, न ही कोई गोंड़ जाति लोग शासकीय नौकरी में है। धारक एवं उसके पिता पूर्वज को न ही जानना न ही गांव में आना जाना बताया गया है।

श्रीमती लाल ने उक्त संबंध में उल्लेख किया है कि उसके पूर्वज श्री तितरू की मृत्यु लगभव 1897 के आस–पास हो गई। तब से आज तक उन्हें जानने–पहचानने वाला कोई व्यक्ति शायद ही जीवित हो, इसलिए वर्तमान में उस ग्राम के ग्रामवासियों का बयान मान्य योग्य नहीं है। ग्राम छोड़ने के उपरांत उनके दादाजी द्वारा धर्म परिवर्तन किया गया था। अतः ग्रामवासियों को इसकी जानकारी होना भी असंभव है।

श्रीमती लाल के द्वारा वर्ष 1909–10 के मिसल–अभिलेख में बहबल वल्द तितरू गोंड़ को अपना पूर्वज होना उल्लेखित किया है, जबकि उपपुलिस अधीक्षक के द्वारा अपने प्रतिवेदन में उल्लेख किया है कि खसरा नं. 262 वहबल वल्द तिरुगोंड खसरा नं. 243, 244 वहबल

वल्द तिरू गोंड खसरा नं. 246 ईहला वल्द हमरी गोंड खसरा नं. 247 पदमा वल्द हलसात गोंड खसरा नं. 248 रतिया वल्द नूता गोंड खसरा नं. अस्पष्ट वहबल वल्द तितरू गोंड के नाम दर्ज है। इसमें श्रीमती क्रिस्टीना के पिता/पूर्वजों के नामों का कहीं उल्लेख नहीं है। मौजा तुरमादर आ.न. 3073/12 नव 244 ह.न. 84 तहसील व जिला जबलपुर के अधिकार अभिलेख वर्ष 1954–55, 55–56 की प्रति भी प्राप्त की गई जिसका ख.नं 262/1.263/1. 264/4, 262/2. 265–264/1 चमरू वल्द घोधा एवं दुकलो बेवा धोधा के नाम दर्ज है। इसमें भी श्रीमती क्रिस्टीना के पिता/पूर्वजों के नाम उल्लेख नहीं है।

इस प्रकार श्रीमती लाल के द्वारा वर्ष 1909–10 के प्रस्तुत मिसल अभिलेख में उल्लेखित बहबल वल्द तितरू गोड उनके पूर्वज होना सिद्ध नहीं हो पाया है क्योंकि संबंधित पटवारी श्री जी.एल.चौबे, ग्राम–तुरमादादर, तहसील व जिला–जबलपुर के द्वारा प्रस्तुत वंशावली (सिजरा) भी पटवारी ने जारी करन से इन्कार किया है। श्रीमती लाल के द्वारा जाति प्रमाण पत्र वैधता परीक्षण प्रपत्र में भी अपने पिता के पिता दादाजी स्व० श्री नाथन के पिता बहबल वल्द तितरू का नाम उल्लेख नहीं किया गया है जिससे यह सिद्ध हो सके के बहबल वल्द तितरू श्रीमती लाल के पूर्वज हैं। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा जाति प्रमाण पत्रों की जांच हेतु डायरेक्टर ट्रायबल वेल्फेयर विरूद्ध लावेती गिरि संदर्भ 95/4/एस.सी.सी/32 में निर्धारित प्रकिया का उल्लेख होने के साथ ही यह भी उल्लेख है कि अपनी सामाजिक प्रास्थिति/जाति को साबित करने हेतु सबूत का भार उस व्यक्ति का है जो प्रस्तुत किये गये जाति प्रमाण पत्र के आधार पर आरक्षण सबंधी सवैधानिक लाभ प्राप्त करना चाहता है। श्रीमती लाल के द्वारा प्रस्तुत मिसल अभिलेख 1909–10 में जिस बहबल वल्द तितरू गोंड का नाम अंकित है वह श्रीमती लाल के ही पूर्वज है. इसे प्रमाणित करने हेतु राजस्व विभाग से संबंधित प्राधिकृत पटवारी/रेवेन्यु इस्पेक्टर/नायब तहसीलदार का अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया गया है।

7. माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा कु माधुरी पाटिल बनाम एडिशन कमिश्नर, ट्रायबल डेव्हलपमेंट संदर्भ 94/6/एस.सी.सी./241 में उल्लेखित है कि आरक्षित संवर्ग के जाति संबंधी प्रकरणों की जांच एन्थ्रोपोलॉजिकल, इथनोलॉजिकल आधार पर किया जावे। नृजातीय परीक्षण प्रपत्र में श्रीमती क्रिस्टीना से जानकारी भरकर प्राप्त की गई। जाति प्रमाण पत्र की वैधानिकता की जांच हेतु निर्धारित मानवशास्त्रीय, नृजातीय अनुसूची में श्रीमती क्रिस्टीना एस. लाल द्वारा अपने पिता के जाति के कॉलम में गोंड, गोत्र मार्को, टोटम ज्ञात नहीं का उल्लेख है। जातिगत परम्परागत व्यवसाय में कृषि, माता–पिता का व्यवसाय दर्जी अंकित किया गया है। सामाजिक, धार्मिक एवं रीति–रिवाज संबंधी (सोसल स्टेटस) कॉलम में मातृभाषा, बोली में गोडी के बाद समस्त कॉलम में निरंक जानकारी अंकित है। अन्य अनेकमाननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा डायरेक्टर ट्रायबल वेलफेयर विरुद्ध लावेती गिरी संदर्भ 95/4/एस.सी.सी./32 में जाति प्रमाण–पत्रों की जांच हेतु निर्धारित प्रक्रिया के पालन में श्री मनीराम बैगा के जाति प्रमाण–पत्र की जांच समिति के विजिलेंस सेल को दिनाक 20.06.2014 को सौंपी गई। विजिलेंस सेल से दिनांक 07.10.2015 को प्राप्त जांच प्रतिवेदन के अनुसार धारक अनुसूचित

जनजाति बैगा नहीं पाया गया। प्राप्त प्रतिवेदन में उल्लेखित है कि स्कूली रिकार्ड/दस्तावेज के आधार पर उनकी जाति ढीमर (अन्य पिछड़ा वर्ग) होना पायी जाती है।

8. कॉलम में जानकारी भरने के स्थान पर निरंक लिखा गया है। गोत्र नाम, पूर्वजों का परपरागत व्यवसाय, देवी–देवता, रीति–रिवाज आदि अनुसूचित जनजाति गोंड के नहीं पाये गये। श्रीमती लाल के द्वारा ईसाई धर्म अपनाने के कारण जनजातीय रीति–रिवाजों का पालन नहीं किया जाता है जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्णय पारित (1) मीरा कॉंवरिया बनाम सुनीता सदर्भ 2006 (1) SCCD/140/SC एवं (2) स्टेट ऑफ केरला बनाम चन्द्रमोहन संदर्भ AIR/2004/SC/1672 में पारित आदेश के अनुरूप नहीं है।

9. श्रीमती लाल को छत्तीसगढ़ अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग (सामाजिक प्रास्थिति का प्रमाणीकरण विनियमन) अधिनियम 2013 की धारा–19 में किये गये प्रावधान के कियान्वयन में निर्मित नियम 2013 के अध्याय–2 में किये गये प्रावधान अनुसार अपनी सामाजिक प्रास्थिति को प्रमाणित करने हेतु अभिलेख प्रस्तुत नहीं करने के कारण छ०ग० राज्य के लिये प्रावधानित अनुसूचित जनजाति संबंधी संवैधानिक आरक्षण के लाभ की पात्रता नहीं आती है। उन्हें साक्ष्य प्रस्तुत करने सुनवाई का अवसर भी प्रदाय किया गया, परंतु वे वाछित दस्तावेज प्रस्तुत करने में असफल रही। अतः मंडल संयोजक आदिवासी विकास जबलपुर द्वारा श्रीमती लाल को दिनांक 03.10.1987 अनुसूचित जनजाति ष्गोंडष् का जारी प्रमाण पत्र छ.ग. शासन द्वारा जारी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछडा वर्ग (सामाजिक प्रास्थिति के प्रमाणीकरण का विनियमन) अधिनियम एवं नियम 2013 के उपनियम 23 (2) एवं (5) में किये गये प्रावधान अनुसार **दिनांक 17.06.2015 को निरस्त किया गया।**

10. समिति द्वारा पारित उक्त आदेश के विरूद्ध में माननीय छ.ग. उच्च न्यायालय बिलासपुर का सरण लेते हुए WPC No. 581/2016 दायर की। जिसमें आदेश पारित करते हुए न्यायालय ने समिति द्वारा पारित आदेश को निरस्त करते हुए माधुरी पाटिल मामले में सर्वोच्च न्यायालय के अनुसरण में जारी दिनांक 22.08.2013 की अधिसूचना के अनुरूप विधिवत् गठित समिति द्वारा मामले की पुनः विचारार्थ हेतु निर्देशित किया है।

11. माननीय न्यायालय के उक्त निर्देश के परिपालन में प्रकरण समिति की बैठक दिनांक 19.12.2025 को विचारार्थ प्रस्तुत किया गया। समिति ने प्रकरण का अवलोकन कर पाया कि धारक को प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत के परिपालन में सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए आगामी सुनवाई बैठक **दिनांक 12.02.2026** को आहूत किये जाने का निर्णय लिया गया। धारक समिति के समक्ष उपस्थित नहीं हुईं। धारक को सुनवाई का पुनः अवसर प्रदान करने हुए **दिनांक 23.02.2026** को आहूत किये जाने का निर्णय लिया गया। उक्त दिनांक को धारक समिति के समक्ष अपने अधिवक्ता के साथ उपस्थित हुईं, धारक के वकिल द्वारा चाहे गये दस्तावेज उपलब्ध कराने का निवेदन किया गया। समिति द्वारा उक्त निवेदन को स्वीकार करते हुए दस्तावेज दिए जाने तथा आगामी आयोजित बैठक दिनांक को आहूत किये जाने

का निर्णय लिया गया। धारक द्वारा चाही गई जानकारी **दिनांक 24.02.2026** को प्रदाय किया गया। धारक को **तीसरा अवसर प्रदान करते हुए दिनांक 01.06.2026** को समिति के समक्ष आहूत किया गया। जाति प्रमाण–पत्र धारक श्रीमती क्रिस्टीना सी.एस. लाल अधिकृत अधिवक्ता के साथ समिति के समक्ष सुनवाई हेतु उपस्थित हुईं। परंतु उनके द्वारा अपनी जाति के समर्थन में ग्राह्य योग्य कोई भी दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया। धारक के अधिवक्ता के द्वारा अपने पत्र के माध्यम से एवं मौखिक रूप से इस बात पर जोर दिया गया कि उच्च स्तरीय प्रमाणीकरण छानबीन समिति सीधे उन्हें प्राप्त शिकायत पर कार्यवाही नहीं कर सकते।

छत्तीसगढ़ अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग (सामाजिक प्रास्थिति के प्रमाणीकरण के विनियमन) अधिनियम 2013 के धारा 7(1) के अनुसार पहले जिले में जांच होगी, जबकि छत्तीसगढ़ अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग–सामाजिक प्रास्थिति (जाति) प्रमाणीकरण निर्देशिका 2013 में छ.ग. शासन, सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय द्वारा दिनांक 24.09.2013 को परिपत्र क्र. एफ 13–22/2012/आप्र/1–3 के माध्यम से पूर्व उल्लेखित अधिनियम एवं नियम 2013 में परम्परा अनुसार विधिक भाषा शैली का प्रयोग किया गया है, जिसे समझने में संभवतः कहीं–कहीं कठिनाई हो सकती है के तारतम्य में उक्त अधिनियम एवं नियम का सार सरल भाषा में जो आमजन के लिए सहज रूप से समझने में सहायक हो को दृष्टिगत रखते हुए अनुपूरक व्यवस्था के रूप में जारी किया गया।

छ.ग. शासन की अनुपूरक व्यवस्था बिन्दु क्रमांक 20.2 में स्पष्ट किया गया है कि "यदि कोई आम शिकायतकर्ता ऐसे मिथ्या या फर्जी सामाजिक प्रास्थिति प्रमाण पत्र धारक के संबंध में यह सुनिश्चित करने में कठिनाई महसूस कर रहा हो कि उसकी शिकायत राज्य शासन के किस विभाग को प्रेषित करना चाहिए तो वह उक्त संबंध में शिकायत आदिमजाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग के सचिव को भी प्रेषित कर सकता है।

अतः माननीय उच्च न्यायालय छ.ग. बिलासपुर में दायर याचिका क्रमांक W.P.C No. 581/2016 आदेश दिनांक 17.09.2025 के बिन्दु कमांक 20 में दिए गए निर्देश एवं बिन्दु क्रमांक 11 के तीसरा पैरा में उल्लेखानुसार श्रीमती क्रिटीना सी.एस. लाल, संयुक्त संचालक के जाति प्रमाण पत्र की जांच संबंधी शिकायती प्रकरण का नियमानुसार उच्च स्तरीय प्रमाणीकरण छानबीन समिति द्वारा कार्यवाही पूर्ण की गई। **समिति द्वारा धारक को दी गई सुनवाई के अवसर को पर्याप्त मानते हुए व प्रकरण के गुण–दोष के आधार पर समिति सर्वसम्मति से प्रकरण एवं विजिलेंस प्रतिवेदन के अवलोकन, परीक्षण, परिशीलन उपरांत इस निष्कर्ष पर पहुँचती है कि श्रीमती क्रिस्टीना एस. लाल गोंड़, अनुसूचित जनजाति का होना नहीं पायी गयी तथा सर्कल ऑर्गेनाईज़र, ट्राइबल वेल्फेयर के द्वारा दिनांक 03.10.1986 को जारी गोंड़, अनुसूचित जनजाति का जाति प्रमाण पत्र गलत पाया गया। अतएव वर्तमान समिति द्वारा पूर्व समिति के आदेश पारित दिनांक 17.06.2015 को पुनः मान्य करती है।**

14. अधिनियम 2013 की धारा 9(1, 3) तथा नियम 2013 के नियम 23(3) एवं 24(1) में विहित प्रावधानों के अनुसार आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित किये जाने हेतु सचिव, छ.ग.

14. अधिनियम 2013 की धारा 9(1, 3) तथा नियम 2013 के नियम 23(3) एवं 24(1) में विहित प्रावधानों के अनुसार आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित किये जाने हेतु सचिव, छ.ग. शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रलाय महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर (छ.ग.) को प्राधिकृत किया जाता है।

उच्च स्तरीय प्रमाणीकरण छानबीन समिति द्वारा पारित इस आदेश की प्रति सर्वसंबंधित को पंजीकृत डाक के माध्यम से सूचनार्थ प्रेषित की जावें।

(श्रीमती रमा उइके)
सदस्य
उच्च स्तरीय प्रमाणीकरण छानबीन समिति
एवं सहा.अनुसंधान अधिकारी, आ.जा. अनु. एवं
प्रशि. संस्थान, नवा रायपुर, अटल नगर (छ.ग.)

(श्री विनीत नंदनवार)
सदस्य
उच्च स्तरीय प्रमाणीकरण छानबीन समिति
एवं संचालक, भू–अभिलेख
नवा रायपुर, अटल नगर (छ.ग.)

(श्री ऋतुराज रघुवंशी)
सदस्य
उच्च स्तरीय प्रमाणीकरण छानबीन समिति
एवं संचालक, लोक शिक्षण संचालनालय,
नवा रायपुर, अटल नगर (छ.ग.)

(हिना अनिमेष नेताम)
सदस्य सचिव
उच्च स्तरीय प्रमाणीकरण छानबीन समिति
एवं संचालक, आ.जा. अनु. एवं प्रशि. संस्थान,
नवा रायपुर, अटल नगर (छ.ग.)

(डी. राहुल वेंकट)
सदस्य
उच्च स्तरीय प्रमाणीकरण छानबीन समिति
एवं आयुक्त, आ.जा. तथा अनु.जाति विकास
नवा रायपुर, अटल नगर (छ.ग.)

(सोनमणि बोरा)
अध्यक्ष
उच्च स्तरीय प्रमाणीकरण छानबीन समिति
एवं प्रमुख सचिव, आ.जा. तथा अनु.जाति वि.
विभाग, नवा रायपुर, अटल नगर (छ.ग.)

पृ.क्र./टीआरआई/छास/अजजा/322/2005–26/2024 नवा रायपुर, दिनाँक 21/07/2026

प्रतिलिपि :–

1. सचिव, छ.ग. शासन, सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय महानदी भवन नवा रायपुर अटल नगर (छ.ग.)।
2. प्रमुख सचिव, छ.ग. शासन, आदिमजाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग मंत्रालय महानदी भवन नवा रायपुर अटल नगर (छ.ग.)।
3. सचिव, महिला एवं बाल विकास विभाग मंत्रालय महानदी भवन नवा रायपुर अटल नगर (छ.ग) की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु सूचनार्थ प्रेषित।
4. संचालनालय, महिला एवं बाल विकास, इन्द्रावती भवन, ब्लॉक–1, द्वितीय तल, नवा रायपुर अटल नगर (छ.ग) की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु सूचनार्थ प्रेषित।
5. कलेक्टर, जिला–जबलपुर, म.प्र. की ओर प्रेषित कर लेख है कि अधिनियम 2013 के नियम 23(4) में विहित प्रावधान के अनुसार तीन माह के भीतर अपना प्रतिवेदन राज्य शासन को प्रेषित किया जाना सुनिश्चित करें।
6. विधि शाखा को केवियेट दायर करने हेतु प्रेषित।
7. श्रीमती क्रिस्टीना एस. लाल, संयुक्त संचालक, संचालनालय, महिला एवं बाल विकास, इन्द्रावती भवन, ब्लॉक–1, द्वितीय तल, नवा रायपुर अटल नगर (छ.ग)
8. आदेश फाईल।

सदस्य सचिव
उच्च स्तरीय प्रमाणीकरण छानबीन समिति
नवा रायपुर, अटल नगर (छ.ग.)